RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-07
July-2018
ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

गांधी दर्शन में नारीवाद

डॉ. जय कुमार झा

एसोसिएट प्रोफ़ेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, के॰ एस॰ कॉलेज, दरभंगा (बिहार)

भूमिका :

आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महर्षि डी.के. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती एवं एम. जी. रानाडे आदि कई समाज सुधारकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी के इस महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भारतीय नारीवादी आन्दोलन के जनक के रूप में महात्मा गांधी को ख्याति मिली। 1926 ई. में प्रारंभ वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की संस्थापक सचिव मार्गरेट कूजिंस एवं संस्थापक सदस्य कमला देवी चट्टोपाध्याय ने भारत में महिला सशक्तिकरण का श्रेय महात्मा गांधी को दिया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिखा है-'बुद्ध के बाद से शायद किसी भी एक व्यक्ति ने अपने उपदेशों से करोड़ों लोगों की नियति को उस तरह से नहीं बदला होगा, जिस तरह गांधीजी ने बदला। **'वुमन्स यूनियन ऑफ सेल्फ एम्पलाइड वुमन एसोसिएशन (सेवा)'** की संस्थापक अध्यक्ष इला आर, भट्ट ने भी अपनी उपलब्धियों का श्रेय गांधी जी को दिया है। उन्होंने कहा था कि-'अगर गांधीजी ने पहल नहीं की होती तो मैं आज वहाँ नहीं होती जहाँ पर अभी हूँ।' गांधीजी द्वारा महिला उत्थान के प्रयासों से महिलाएँ गांधीजी से अत्यन्त प्रभावित थीं। मार्गरेट कूजिंस ने एक वृत्तान्त में बताया है कि एक गांव की वृद्ध महिला को जब पता चला कि गांधीजी जेल में हैं तो वह उनसे भेंट के लिये पहले तो 7 कि.मी. चलकर नजदीक के कस्बे में गई। कस्बे में विदेशी कपड़े की दुकान का घेराव किया और गिरफ्तारी दी। इस प्रकार जेल पहुँचकर गांधीजी से भेंट की।

गांधीजी की दृष्टि में स्त्रियों द्वारा शांति और अहिंसा के प्रसार के लिये उनकी गर्भधारण की क्षमता एवं मातृत्व अनुभव ही विशेष योग्यता है। अगर वह 9 माह तक गर्भ में शिशु रखने एवं प्रसव वेदना को सह सकती हैं तो कुछ भी सह सकती है और कोई भी कष्ट उठा सकती हैं। महात्मा गांधी ने माँ की छबि की रचना आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों के समृद्ध भण्डार एवं पुरूषों के गुरू के रूप में की। सन् 1915 में गांधीजी ने कस्तूरबा के साथ मिलकर साबरमती आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में बड़ी संख्या में स्त्रियाँ भी जुड़ीं। 1919-20 में प्रथम बार महिलाओं ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में व्यापक सहभागिता की। महात्मा गांधी ने उनकी सहभागिता को विदेशी दवाओं, शराब की दुकानों की घेराबन्दी तक सीमित रखा। गांधीजी के अनुसार स्त्रियों को यह कार्य स्वाभाविक रूप से फबता था, इसलिये नहीं कि शराब की दुकानों की वजह से महिलाएं अपने पतियों की नशाखोरी से त्रस्त थीं बल्कि इसलिये भी कि यह निजी जीवन में नैतिकता एवं शुचिता का मुद्दा था।

1920-21 के असहयोग आन्दोलन में पंजाब, बम्बई एवं कलकत्ता में भारी संख्या में स्त्रियों ने भाग लिया। स्त्रियाँ हाथ में खादी तथा चरखा थामे निकल पड़ती थीं। आन्दोलनरत स्त्रियाँ फैशन का मजाक उड़ाने वाले गीत गाती और विदेशी कपड़े की होली जलाती। 1930 ई. में गांधीजी एवं कांग्रेस द्वारा स्त्रियों को नमक कानून तोड़ने की अनुमति देने के पश्चात कांग्रेस कमेटी ने सारे देश में सत्याग्रहियों का नेतृत्व करने हेतु महिलाओं का चयन किया। यह नेतृत्व सरोजिनी नायडु, लाडो रानी जुत्शी, कमला नेहरू, हंसा मेहता, सत्यवती, अवंतिकाबाई गोखले, पार्वती बाई, रुक्मणी लक्ष्मीपति, पेरिन, लीलावती मुंशी, दुर्गाबाई देशमुख एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि को सौंपा गया। इस तरह सारे देश में महिलाओं ने नमक सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाखों स्त्रियों ने नमक सत्याग्रह में शामिल होकर नमक कानून तोड़ा। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में यह प्रथम मौका था जिसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुये गांधीजी ने कहा-'भारतीय स्त्रियों ने परदा फाड़ कर फेंक दिया और राष्ट्र के काम के लिये बाहर आ गईं।' उन्होंने महसूस किया कि देश उनकी घरेलू देखभाल के जिम्मेदारी के अलावा कुछ और अधिक करने की मांग कर रहा था।' गांधीजी अहिंसा के पुजारी थे। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि समस्त भारत में महिलाएँ उनकी अहिंसक लड़ाई में निकटता से उनकी नीतियों का अनुसरण कर रही हैं, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर कष्ट उठाने का आह्वान था और महिलाओं के अलावा यह कष्ट इतनी ईमानदारी से कौन उठा सकता था। 1920 में विकसित गांधीवादी नारीवाद 1930 के दशक तक एक वृहद नारीवाद बनकर उभरा। गांधीजी के प्रभाववश महिलाओं में अत्यन्त उत्साह एवं ऊर्जा आ गई। 1931में सरोजिनी नायडू को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। गांधीजी ने स्वाधीनता संग्राम में स्त्रियों को भाग लेने हेतु प्रेरित ही नहीं किया, अपितु पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिख कर उनमें चेतना भी जागृत की। गांधी जी ने नारी

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

और पुरूष की समानता, बाल विवाह, बाल विधवाओं की स्थिति, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा इत्यादि सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक अपने विचार व्यक्त किये जो महिलाओं के प्रति उनके उदार एवं प्रगतिशील दष्टिकोण के द्योतक हैं। गांधीजी एक ओर तो महिलाओं के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने प्रेरित किया तो दूसरी और अपने विभिन्न लेखों द्वारा उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु जन जागरण भी किया। 1930 के दशक में गांधीजी ने जिस नारीवाद को पोषित किया था। 1970 के दशक में उसने एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया।

मुख्य शब्द : गाँधी एवं महिलाएँ, संवैधानिक प्रावधान, संयुक्त राष्ट्रसंघ एवं महिलाएं, समाज, शिक्षा, सशक्तिकरण।

भारतीय सभ्यता में महिलाओं की स्थिति हमेशा से श्रेष्ठ रही है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों का स्थान आदिकाल से अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। भारतीय धर्मशास्त्र में भी नारी सर्वशक्तिमान मानी गई है तथा विद्याशील संपत्ति की प्रतीक भी समझी गई है। गोल्ड स्मिथ ने तो यहाँ तक कहा कि **'नारी झुक सकती है टूट नहीं सकती**।' नारी मानव समाज की अस्मिता है। मानव समाज के समुचित विकास में महिलाओं का योगदान किसी भी तरह कम नहीं है। नारी स्नेह, ममत्व, उदारता, स्नेहशीलता सहिष्णुता एवं सहनशीलता का सागर है। यही कारण है कि वैदिक काल के पूर्व एवं वैदिक काल में नारी का बड़ा सम्मान था। नारी को धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त था। वह आत्मिक उत्थान तथा बौद्धिक प्रभाव पाने के लिए स्वतंत्र थी। वह प्रत्येक धार्मिक व सामाजिक आयोजन में सहभागिनी होती थी। भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन के समय स्त्रियों ने घरों से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। किन्तु दुर्भाग्य से नारी अपनी इस गरिमा से गिरती चली गई। महिलाओं को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद घर की चार दीवारों में कैद कर दिया गया । महात्मा गाँधी ने स्त्रियों के समानाधिकार का प्रबल समर्थन किया और अपने आन्दोलनों में उनको क्रियात्मक रूप से शामिल किया। गाँधी जी का कहना था कि लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केवल राजनीतिक सक्तिकरण से महिलाओं का संपूर्ण सशक्तिकरण नहीं होगा। यदि महिलाओं को सशक्त बनाना है तो उनको आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मामलों एवं स्वास्थ्य एवं उत्पादन और आय अर्जन के क्षेत्र में स्त्रियों को आगे लाना होगा। स्कूल, कॉलेजों तथा स्वास्थ्य सुविधाएं एवं पौष्टिक आहार की मात्रा बढ़ानी होगी तभी सही अर्थो में महिलाएं सशक्त हो पायेंगी।

पुरुष प्रधान समाज ने नारी को अपनी सेविका बना कर रखा। यह बड़ा विरोधाभाष है कि जहाँ एक ओर नारी की देवी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है, तो दूसरी ओर उसको केवल अपनी सेविका एवं काम सुख के रूप में इस्तमाल किया जाता है। जहाँ लड़कियों को गर्भ के दौरान ही मार दिया जाता है तथा गर्भपात एवं भ्रूण हत्या कर दी जाती है, जो कि एक चिंतनीय विषय है। फिर 19वीं सदी के बाद आजादी के पूर्व व आजादी के 70 वर्षों में नारी के उत्थान एवं विकास के प्रयास किए जाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी उत्थान व सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए गये, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा व सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य किया गया । लेकिन अधिकतर कानून सैद्धान्तिक रूप से ही लागू हो सके। उनका क्रियान्वयन व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाया। जिसके कारण महिलाओं की स्थिति समाज में चिंतनीय बनी हुई है। समाज में एक ऐसा बदलाव लाना होगा जिससे कि परम्परा की आड़ में किसी स्त्री का अपमान न हो। पुरूष और स्त्री किसी भी सभ्य समाज की धुरी हैं। समाज महिलाओं के प्रति धारणा को बदले तभी हम इस उक्ति **"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"** को साकार कर पायंगे। वर्तमान में नारी की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए गांधी जी के सुझाव का विशेष महत्व है, क्योंकि भारत की नई पीढ़ी ही शताब्दियों से प्रचलित कुरूतियों एवं प्रथाओं का अंत करके परिवार तथा समाज में नारी को उसका गौरवपूर्ण स्थान प्रदान कर सकती है। भारतीय संविधान में भी महिलाओं को लिए प्रावधान किए गए है, परंतु उन कानूनों व नियमों का व्यावहारिक क्रियान्वयन होना चाहिये । जिससे महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध हो सके।

मानवता के पुजारी महात्मा गांधी ने सदैव नारियों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति, और सती प्रथा से महिलाओं को आजाद करने तथा उन्हें पुरुषों के बराबर स्थान दिलाने के लिए कार्य किया। गांधी जी ने स्त्रियों सीता, सावित्री, अनुसईया, दमयन्ती आदि सती स्त्रियों के उत्कृष्ट आदर्शों का अनुसरण करने के लिए उन्हें प्रेरित किया । उन्होंने नारी को अबला कहे जाने की आलोचना की । उनका मानना था कि शक्ति का अर्थ यदि नैतिक शक्ति है, तो स्त्री निश्चित रूप से पुरूषों से अधिक शक्तिशाली है। गांधी जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया था तथा बाल विवाह को विवाह नहीं माना। दहेज प्रथा के विरूद्ध उन्होंने कहा कि "पैसे के लालच में किया जाने वाला विवाह, विवाह नहीं है।" गांधी जी के आगमन के साथ ही सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। गाँधी जी ने पर्दे में रहने वाली महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में सकिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास था कि जब तक महिलायें सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग नहीं लेंगी तब तक आजादी की लड़ाई को सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने नारी शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बतलाया तथा बाल्यावस्था से ही महिलाओं को शिक्षित करने का समर्थन किया। उनका मानना था कि स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी शिक्षा अनिवार्य है। भारत सरकार ने

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

कानून बनाकर बहु विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा को अपराध करार दिया है तथा संविधान द्वारा स्त्री को पुरूषों के समकक्ष समानता प्रदान की है, उसका श्रेय महात्मा गांधी को है। महात्मा गांधी ने नारी समाज को देश की राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास की धारा से जोड़ने का कार्य किया और इसका परिणाम वर्तमान समाज में महिलाओं के जीवन में संचार एवं प्रगति के रूप में सामने आता है। आज स्त्रियाँ अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति सचेत हुई है वह निश्चित तौर पर गांधी जी की प्रेरणा का फल है।

गांधी को आधुनिक युग का सर्वोच्च शिक्षाविद्वान माना गया है कि राष्टपिता महात्मा गांधी एक महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, कर्मठ राजनेता, समाज सुधारक और शिक्षाविचारक थे गांधी जी ने स्त्री संबंधी विचार एवं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने विचार दिए । गांधीजी ने कहा था कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। इनकी शिक्षा में घर के प्रबंध, बालकों के लालन पालन और उनकी शिक्षा को विशेष बल दिया जाना चाहिए जिससे महिला को सशक्त बनाया जा सकता है। गांधी जी का कहना है कि स्थिति आज इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कार्यो का विभाजन वर्ण, जाति, धर्म के आधार पर साथ-साथ स्त्री-पुरूष को अपनी क्षमता के अनुसार विभाजित किया गया है गांधीजी का कहना है कि कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है स्त्री पुरुष दोनों में समानता है और ये भी कहा है कि उसकी शारीरिक संरचना पुरूष से भिन्न है स्त्री स्वभाव से कोमल व प्रेमरूप है इसी कारण प्रकृति ने नारी को ममतामयी बनाया है गांधी जी ने कहा है कि योग्यता का वास्तविक मानदंड शारीरिक बल नहीं बल्कि बुद्धि विवेक होता है वर्तमान युग में स्त्रियां बुद्धि विवेक के मामले में पुरुषों से कहीं भी किसी रूप में पीछे नहीं है। हमें इस मनोविज्ञान को समझना होगा कि महिला पुरूष के लिए महज वस्तु नहीं बल्कि वह, पूजनीय माता दुलारी बहन, पुत्री और सहयोगी मित्र या पत्नी भी होती है। इसी प्रकार समाज में सभी वर्ग के लोग व माता-पिता को भी अपनी बच्ची या बेटी को शिक्षित करने हेतु जागरूक करना होगा। तभी हम उनमें भविष्य की कल्पना चावला, सानिया, पी. वी. सिंधू या श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनते देख सकेंगे। जिसे हम कह सके कि भारत की महिला सशक्त है।

संदर्भ सूची:

1. मेनन, निवेदिता)2001) नारीवादी संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
2. जोशी, गोपा)2006). भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय
3. कुमार, राधा)2009). स्त्री संघर्ष का इतिहास1800 -1900, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
4. https://www.pravakta.com/womens-rights-and-gandhian-thought/https://www.mkgandhi.org/articles/women1.html
5. Fischer, Louis (1997). The Life of Mahatma Gandhi, Harper Colophon Books.

© RRIJM 2015, All Rights Reserved